न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या 101/2017 एल.आर.एक्ट

हरदयाल सिंह पुत्र स्व. ठाकरसिंह जाति बावरी निवासी चक 26 पीटीपी ढाणी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. हरचरणसिंह पुत्र बसन्तसिंह जाति जटसिख निवासी हाथियांवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ।

रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः 1– श्री चन्द्र प्रकाश सारस्वत, अभिभाषक अपीलान्ट
2-- श्री ज्ञानसिंह बिश्नोई, अभिभाषक रेस्पोन्डेंट सं0 1
3– श्री सुभाष सहू, राजकीय अभिभाषक ।

निर्णय

दिनांक 4.2.2019

1. यह प्रथम अपील राजस्थान भू--राजस्व अधिनियम् 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के आदेश दिनांक 4.9.17, जिसके द्वारा चक 26 पीटीपी खाता सं0 128/114 में मु0नं0 59 का किला नं0 5, 6, 15, 16, 25/1.265 हैक्टेयर में जमाबन्दी दुरुस्त करके प्रत्येक किले में 2–2 बिस्वा रास्ता अंकन करने के आदेश दिये गये, के विरुध्द प्रस्तुत हुई है ।
2. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोन्डेंट सं01 प्रार्थी हरचरणसिंह पुत्र बसन्तसिंह जटसिख साकिन हाथियांवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के समक्ष राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी का रकबा 28 पीटीपी के मु0नं0 32 में पड़ता है, जिसमें किला नं0 3, 4 में ढाणी बनी हुई है व यहां से प्रार्थी की अन्य कृषि भूमि चक 26 पीटीपी के मु0नं0 53 व मु0नं0 54 में पड़ती है, को आने जाने के लिए रास्ता प्रार्थी के साथ चिपता रकबा चक 26 पीटीपी के मु0नं0 59 का किला नं0 5, 6, 15, 16, 25 में 2–2 बिस्वा जो कि वर्तमान में वालू है, से होकर जाता है। प्रार्थी को इसके अलावा अन्य कोई रास्ता अपने खेतों व ढाणी में आने –जाने के लिए नहीं है, परन्तु मुरब्बा बन्दी में उक्त रकबा में रास्ता सहवन से दर्ज होने से रह गया और चक 26 पीटीपी की जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 खाता सं. 128/114 में मु0नं0 59 का किला नं0 5, 6, 15, 16, 25 में किले सालम दर्शाये गये हैं एवम् जमाबन्दी में रास्ता नहीं दर्शाया गया है । जबकि भाखड़ा जमाबन्दी में उक्त किले 18–18 बिस्वा दर्शाए जाकर 2–2 बिस्वा रास्ता दर्शाया गया है । प्रार्थी के पास अपने खेतों– ग्राम हाथियांवाली व सादुलशहर में आने–जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है । अतः चक 26 पीटीपी जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 खाता सं0 128/114 में मु0नं0 59 का किला नं0 5, 6, 15, 16, 25/1.265 हैक्टेयर में जमाबन्दी दुरुस्त करके प्रत्येक किले में 2–2 बिस्वा रास्ता अंकन करने के आदेश प्रदान किये जावें " । न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सादुल शहर के समक्ष रेस्पोन्डेंट सं01 द्वारा दिनांक 3.8.17 को उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी जारी की गयी । दिनांक 4.9.17 को स्टेट का जवाब प्राप्त नहीं होने पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार (राजस्व)

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

सादुलशहर को आदेशित किया गया कि चक 26 पीटीपी जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 खाता सं0 128/114 में मु0नं0 59 का किला नं0 5, 6, 15, 16, 25/1.265 हैक्टेयर में जमाबन्दी दुरुस्त करके प्रत्येक किले में 2–2 बिस्वा रास्ता अंकन करने के आदेश प्रदान किये जावें । न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर द्वारा पारित किये गये उक्त आदेश दिनांक 4.9.17 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गयी है ।

3. उक्त अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेंट के निमित सम्मन जारी करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब कर प्राप्त किया गया । अपील में उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमो के कथन को दोहराते हुए अपनी बहस में बताया कि अपीलार्थी के पिता स्व. ठाकुरसिंह के नाम से चक 26 पीटीपी के मु0नं0 58 के किला नं0 1, 10, 11 तथा मुरब्बा सं0 59 में किला नं0 3 ता 8, 14 ता 17, 24 व 25 कुल 15 बीघा भूमि कस्टोडियन विभाग द्वारा आवंटित हुई है । अपीलार्थी के पिता ठाकरसिंह की मृत्यु दिनांक 9.6.08 को हो चुकी है, तब से आदिनांक उक्त कृषि भूमि को अपीलार्थी ही काश्त कर रहा है । यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना तहसीलदार सादुलशहर का जवाब प्राप्त किये, बिना पटवारी से मौका रिपोर्ट मांगे, और बिना अपीलार्थी को सुने अपीलाधीन आदेश दिनाक 4.9.17 पारित कर अपीलार्थी की कब्जा काश्त शुदा भूमि में से रास्ता देकर रिकॉर्ड में अंकन करने का आदेश पारित कर दिया । यह कि रेस्पोन्डेंट सं01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने प्रार्थना पत्र धारा 136 में यह अंकित किया है कि चक 26पीटीपी के मु0नं0 59 का किला नं0 5, 6, 15, 16, 25 में 2–2 बिस्वा वर्तमान में रास्ता चालू है, जबकि वास्तव में ना तो मौके पर उक्त किला नं0 में से कोई रास्ता चालू है और नां ही रिकॉर्ड में ऐसे किसी रास्ते का अंकन है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना मौका रिपोर्ट मंगवाये एवम् बिना चालू रिकॉर्ड का अवलोकन किये, अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है । चालू जमाबन्दी में अपीलार्थी के पिता का नाम अंकित है , उन्हें सुनवाई हेतु कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है । यह कि चक 26पीटीपी के मु0नं0 59 का किला नं0 5, 6, 15, 16, 25 में अपीलार्थी की फसल खड़ी है । यदि उक्त कृषि भूमि में से मार्ग निकाल दिया गया तो अपीलार्थी की फसल नष्ट हो जायेगी । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी को जानबूझ कर पक्षकार नहीं बनाया गया है । अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 25.10.17 को तहसील कार्यालय में पता करने पर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी हुई एवं दिनांक 6.11.17 को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की प्रमाणि प्रति प्राप्त होने पर जानकारी से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की गयी है । अतः न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 4.9.17 निरस्त फरमाया जावे।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेंट सं01 ने अपनी बहस में बताया कि चक 26 पीटीपी की जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 खाता सं. 128/114 में मु0नं0 59 का किला नं0 5, 6, 15, 16, 25 में किले सालम दर्शाये गये हैं एवम् जमाबन्दी में रास्ता नहीं दर्शाया गया है । जबकि भाखड़ा जमाबन्दी में उक्त किले 18–18 बिस्वा दर्शाए जाकर 2–2 बिस्वा रास्ता दर्शाया गया है । जबकि पुराना रास्ता है, तथा मौके पर रास्ता चालू है । प्रार्थी के पास अपने खेतों– ग्राम हाथियांवाली व सादुलशहर में आने–जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है । अतः चक 26 पीटीपी जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 खाता सं0 128/114 में मु0नं0 59 का किला नं0 5, 6, 15, 16, 25/1.265 हैक्टेयर में जमाबन्दी दुरुस्त करके प्रत्येक किले में 2–2 बिस्वा रास्ता अंकन करने का आदेश प्रदान किया गया है । उक्त किलों में 14.10 बिस्वा में पानी की बारी है । प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिकॉर्ड के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे ।

6. हमने उभय पक्ष की बहस को मध्यजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । प्रकरण अनुसार रेस्पोन्डेंट सं01 हरचरणसिंह के द्वारा राज.भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के समक्ष

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर उपखण्ड न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 7.9.17 पारित कर चक 26 पीटीपी की चालू जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता सं0 128/114 में मु0नं0 59 का किला नं0 5, 6, 15, 16, 25 में जमाबन्दी दुरुस्त करके प्रत्येक किले में 2–2 बिस्वा रास्ता अंकन करने के आदेश प्रदान किये गये हैं । न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर द्वारा पारित किये गये उक्त आदेश दिनांक 4.9.17 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गयी है ।

7. अपीलान्ट द्वारा यह अपील उपखण्ड न्यायालय सादुलशहर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 4.9.17 से व्यथित होकर दिनाक 4–12–2017 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है। भू–अभिलेख अधिकारी के आदेश के विरुध्द इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु 60 दिवस की अवधि निर्धारित है परन्तु अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील 30 दिवस विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है । अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम् के प्रार्थना एवं शपथ पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शाये हैं, उन्हें सही मानते हुए न्याय हित में यह अपील अपीलान्ट मियाद में शुमार की जाती है ।

8. अभिभाषक अपीलान्ट का मुख्य रुप से कथन है कि अपीलार्थी के पिता स्व. ठाकुरसिंह के नाम से चक 26 पीटीपी के मु0नं0 58 के किला नं0 1, 10, 11 तथा मुरब्बा सं0 59 में किला नं0 3 ता 8, 14 ता 17, 24 व 25 कुल 15 बीघा भूमि कस्टोडियन विभाग द्वारा आवंटित हुई है । अपीलार्थी के पिता ठाकरसिंह की मृत्यु दिनांक 9.6.08 को हो चुकी है, तब से आदिनांक उक्त कृषि भूमि को अपीलार्थी ही काश्त कर रहा है । प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने बिना तहसीलदार सादुलशहर का जवाब प्राप्त किये, बिना पटवारी से मौका रिपोर्ट मांगे, और बिना अपीलार्थी को सुने अपीलाधीन आदेश दिनाक 4.9.17 पारित कर अपीलार्थी की कब्जा काश्त शुदा भूमि में से रास्ता देकर रिकॉर्ड में अंकन करने का आदेश पारित किया गया है । जबकि चालू जमाबन्दी में अपीलार्थी के पिता का नाम अंकित है , उन्हें सुनवाई हेतु कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है ।

9. हमने अपीलान्ट द्वारा अपील में किये गये कथन के सम्बन्ध में चालू जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 एवम् पुरानी जमाबन्दी का अवलोकन किया । चालू जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता सं0 128/114 में मु0नं0 59 का किला नं0 5, 6, 15, 16, 25 की उक्त भूमि अपीलान्ट के पिता ठाकरसिंह वल्द सुन्दरसिंह कौम बावरी साकिन हाथियावाला गैरखातेदार के नाम सालम किले बताये गये है, जबकि पुरानी जमाबन्दी में उक्त किला नं0 5, 6, 15, 16, 25 में ठाकरसिंह के नाम प्रत्येक किले में 0.18–0.18 बिस्वा भूमि अंकन किया हुआ है। हम अभिभाषक अपीलान्ट के इस कथन से सहमत हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी राज्य पक्ष तहसीलदार सादुलशहर एवम् प्रभावित पक्षकार ठाकरसिंह पुत्र सुन्दरसिंह को सुनवाई का अवसर दिये बिना इकतरफा आदेश पारित कर प्रार्थी हरचरणसिंह का धारा 136 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है । जबकि धारा 136 में निम्नलिखित प्रावधान दिये हुए हैं :–

136. **[Correction of errors-** The Land Records Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any register, Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties]

धारा 136 के उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा त्रुटि के संशोधन हेतु पक्षकारान को नोटिस दिया जाना आवश्यक है । धारा 136 के प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण अपीलान्ट जो विवादित भूमि के कस्टोडियन विभाग द्वारा आवंटित गैर खातेदार हैं, उन्हें सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है तथा प्रभावित पक्षकार को अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया तथा प्रार्थीगण को नोटिस जारी किया जाना नहीं पाया जाता है। उपरोक्त तथ्यों के अनुसार प्रथमदृष्टया मामला अपीलान्ट के पक्ष में बनता है ।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

10- उपरोक्त विवेचन अनुसार यह अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 4.9.17 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उपखण्ड न्यायालय सादुलशहर को इस निर्देश के साथ प्रति–प्रेषित (Remand) किया जाता है कि अपीलान्ट (प्रभावित पक्षकार) एवम् रेस्पोन्डेंट हरचरणसिह को सुनवाई एवम साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विवादित भूमि के सम्बन्ध में राज्य पक्ष तहसीलदार से नक्शा एवं रास्ता मौका मय प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में बिन्दु वार रिपोर्ट प्राप्त की जावे । इसके अलावा पुरानी जमाबन्दी में रास्ता बताया गया है तथा वर्तमान जमाबन्दी में किला नं0 5,6,15,16,25 को सालम दर्ज होने के सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त की जाकर उसका विवेचन करते हुए पुनः विधि अनुसार निर्णय पारित किया जावे ।

11- तद्नुसार अपील अपीलान्ट निर्णीत शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 4.2.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
सम्भागीय आयुक्त
बीकानेर